न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- पुनित कुमार गेलड़ा(आर.ए.एस.)
मूल वाद संख्या :- 34/2022
निर्णय दिनांक :- 08.07.2025

उनवान

1. श्रीमती जीवा पत्नी श्री कानजी जाति भील उम्र 63 वर्ष निवासी गांव आमलीखेड़ा पटवार हल्का बोरखेड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा।

वादी

बनाम

1. नानका पिता श्री लाबु जाति भील उम्र वयस्क,
2. रमेश पिता श्री परतु जाति भील उम्र वयस्क,
3. श्रीमती दितुड़ी पत्नी श्री परतु जाति भील उम्र वयस्क,
4. हरजी पिता लेमजी चरपोटा जाति भील उम्र वयस्क

निवासीगण ग्राम आमलीखेड़ा पटवार हल्का बोरखेड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा।

प्रतिवादी

-: निर्णय :-

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी)

इस न्यायालय में विचाराधिन मूल वाद संख्या 34/2022 श्रीमती जीवा बनाम नानका अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 19.02.2024 को वादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी जीवा की दिनांक 07.11.2023 को मृत्यु हो चुकी है। एवं उसके वारिस श्री कानजी पिता श्री गलजी जाति भील निवासी आमलीखेड़ा माहीडेम तहसील व जिला बांसवाड़ा को वादी स्व. श्रीमती जीवा पिता कानजी के स्थान पर रेकार्ड पर लिया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी स्व. श्रीमती जीवा पिता श्री कानजी के स्थान पर उपरोक्त वारीसान को वादी की श्रेणी में कायम मुकाम कर रेकार्ड पर लेने के आदेश फरमावें।

वादी के वारसान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ कि वादीया स्व.श्रीमती जीवा के पिता का नाम कानजी नहीं है अपितु पति का नाम कानजी है। तथा रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज कानजी का स्वर्गवास हो चुका है। जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर जीवा पत्नी कानजी अंकित है। एवं वादीया के निम्न वारीसान है। 1. वेलजी माता स्व.श्रीमती जीवा, 2. नारायण माता स्व.श्रीमती जीवा, 3. राजेश माता स्व.श्रीमती जीवा, 4. वारजी माता स्व.श्रीमती जीवा, 5. श्रीमती इन्दिरा माता स्व. श्रीमती जीवा (पत्नी श्री रमण), स्व.

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner

वजेंग माता स्व.श्रीमती जीवा, 6. अनिल पुत्र स्व. श्री वजेंग 8. अन्य दो पुत्रियां है। उपरोक्त वारीसान को प्रकरण कर जानकारी दिये बिना अपने आपको एकमात्र वारिस बताकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो काबिल निरस्ती है। प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने निवेदन किया।

वादी अधिवक्ता ने बहस हेतु कथन निवेदन किया कि वादीया के पति का नाम रेवेन्यु रेकार्ड में गलत था जिसके संशोधन हेतु प्रकिया चालु है। जीवा के पति को बतौर वारीसान में रेकार्ड पर लिया जावें।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस कर कथन किया कि वादी का प्रार्थना पत्र बाहर मयाद है। 30 दिन की अंदर सूचना देनी थी। प्रार्थना पत्र में सभी पक्षकारों के नाम अंकित नहीं है। प्रार्थना पत्र अत्यंत विलम्ब से पेश किया एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 में भी देरी का उचित कारण नहीं बताया। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 निरस्त फरमावें।

प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं उस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है। कि वादी की मृत्यु दिनांक 07.11.2023 को हो गई। वादीया के वारीसान की ओर से कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र मय धारा 5 म्याद अधिनियम के पेश किया है। जो 90 दिन की मियाद अवधि के बाहर का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम विलम्ब से प्रस्तुत करने का उचित कारण नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

अतः वादीया जीवा के वारसान द्वारा दिनांक 19.02.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। एवं वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

(पुनित कुमार बोलडा)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner